

प्रेस नोट

थाना टाण्डा क्षेत्रान्तर्गत अवैध खनन करने वाले माफियों के विरुद्ध की गयी गैंगस्टर की कार्यवाही

यह कि थाना टाण्डा क्षेत्रान्तर्गत कुल 13 केशर है इन केशरों से तथा उत्तराखण्ड स्थित केशरों से कुछ अपराधिक मानसिक प्रकृति के व्यक्ति अवैध खनन के परिवहन में संलिप्त पाये जाने पर थाना टाण्डा पुलिस द्वारा आज दिनांक 17.11.2023 को खनन माफियाओं के विरुद्ध उनके अपराधिक इतिहास के आधार पर कुल 07 माफियों के विरुद्ध तीन गैंगस्टर अधिनियम के अभियोग पंजीकृत किये गये जिनका विवरण निम्नवत है:-

➤ मु0अ0सं0 528/2023 धारा 3(1) गैंगस्टर अधि0

- अभियुक्त 1. लवशेर पुत्र गुरजीत सिंह नि0 दभोरा टाण्डा थाना आईटीआई काशीपुर जिला उधमसिंहनगर
उत्तराखण्ड उम्र करीब 24 वर्ष (गैंग लीडर)
2. करनैल सिंह पुत्र अनूप सिंह नि0 ग्राम जमालगंज थाना टाण्डा रामपुर उम्र करीब 34 वर्ष (सदस्य)

➤ मु0अ0सं0 529/2023 धारा 3(1) गैंगस्टर अधि0

- अभियुक्त 1. शराफत उर्फ फिरासत पुत्र अनवर निवासी दढियाल थाना टाण्डा जनपद रामपुर (गैंग लीडर)
2. नदीम पुत्र शराफत उर्फ फिरासत निवासी दढियाल थाना टाण्डा जनपद रामपुर (सदस्य)

➤ मु0अ0सं0 530/2023 धारा 3(1) गैंगस्टर अधि0

- अभियुक्त 1. राहुल सिंह पुत्र राजकुमार निवासी बैजल नर्सिंग होम वाली गली 35 जागृति नगर करगौना बदायूं
रोड थाना सुभाष नगर जनपद बरेली (गैंग लीडर)
2. आकाश कुमार पुत्र परमेश्वरदीन निवासी दारापुर चठिया, छितेपुर जनपद शाहजहाँपुर (सदस्य)
3. सोमवीर पुत्र श्यामलाल निवासी माई कीरतपुर थाना भमौरा जनपद बरेली (सदस्य)

➤ थाना टाण्डा पर दिनांक 01.01.2023 से 17.11.23 तक अवैध खनन में संलिप्त रहे अपराधियों के विरुद्ध अन्य कार्यवाही का विवरण –

➤ अवैध खनन का परिवहन एवं सार्वजनिक सम्पत्ति निवारण अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही

- ❖ कुल पंजीकृत अभियोग की सं0- 14
- ❖ पंजीकृत अभियोगों में कुल अभि0 की सं0 – 35
- ❖ अभियोगों में निरुद्ध वाहन की सं0 – 19
- ❖ अवैध खनन के परिवहन में संलिप्त वाहनों के विरुद्ध पुलिस एवं राजस्व संयुक्त टीम द्वारा की गयी सीजर की कार्यवाही -450 वाहन
- ❖ धारा 207 एम0वी0 एक्ट के अन्तर्गत सीज अवैध खनन के वाहनों की सं0- 28
- ❖ धारा 207 एम0वी0 एक्ट में अवैध खनन परिवहन में संलिप्त वाहनो के चालानों की सं0- 159

➤ वर्ष 2023 में अवैध खनन करने वाले पंजीकृत माफियाओं का विवरण:-

- ❖ जाकिर बनिया पुत्र लाल मौहम्मद निवासी होली चौक दढियाल एहतमाली थाना टाण्डा जनपद रामपुर ।
- ❖ मंगला पुत्र रहीस दूल्हा निवासी ग्राम अकबरावाद थाना टाण्डा जनपद रामपुर ।
- ❖ उपरोक्त दोनों खनन माफियों के विरुद्ध गुण्डा एक्ट की कार्यवाही की गयी ।
- ❖ पंजीकृत खनन माफिया मंगला पुत्र रहीस दूल्हा निवासी ग्राम अकबरावाद थाना टाण्डा जनपद रामपुर का खाका एच0एस0 अनुमोदन हेतु उच्चाधिकारी गण को प्रेषित किया गया ।

(सुरेन्द्र सिंह पचौरी)
प्रभारी निरीक्षक
थाना टाण्डा, रामपुर

